राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1330/2025

रामजस चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक), पंचायत राज (चिकित्सा), जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा।
4. प्रभारी, महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा।
5. श्री शंकर लाल जाट, जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, जिला भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, केवियटर

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियम–2011 के नियम 8 (iii) का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत राज विभाग से अनुमति लिए बिना ही जिले से बाहर कर दिया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 5 के द्वारा चिकित्सा मंत्री को दिनांक 05.01.2025 (अनुलग्नक–3) को पत्र लिखा

जिसके अनुसार अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक द्वेषता के किया गया है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष ने दिनांक 15.01.2025 को निदेशक महोदय को पत्र लिखकर पदाधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने हेतु लिखा गया (अनुलग्नक—4)। अपीलार्थी के दो बच्चे है जो 5 व 11 वर्ष के है, जो अध्ययनरत है। उनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है, उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। मध्य सत्र में अपीलार्थी का स्थानान्तरण करने से अपीलार्थी के बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान नर्सिंग अधिकारी के पद पर महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा निरन्तर कार्य करने दिया जावें।

3. हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य